

71 ७८ ८८
८८

454

16

ANNEXURE - E

K Singh

फरनबीत सिंह/Karanjit Singh
सचिवालयी अधिकारी/Secretary Officer
ग्राम पंचायत एवं नगर विकास निगम लिमिटेड
Housing & Urban Development Corps. Ltd.
पार्श्वपथी, सोशल रोड, नई दिल्ली-110003
IHC, Lodhi Road, New Delhi-110003



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विक्रम्य विलेख

यह विलेख आज दिनांक २५-१२-०५ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, विकास मार्ग हापुड़ रोड, गाजियाबाद, जो कि राष्ट्रपति अधिनियम संख्या - 11 सन् 1973 पुर्वविधायन, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या - 30 सन् 1974 की धारा - 4 के आधीन गठित एक निकाय है, के प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से (जिसे इस विलेख में आगे विक्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ अब तक उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो विक्रेता उसके प्रशासको/अधिशासको विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा। प्रथम पक्ष

मैं, मुमाज इंवं नगर विकास निगम के छाता अधिकारी के पात्र श्री/श्रीमति/कुमा... विलेख के लिए कागजीताई, सम्पालपी उम्मीदवारी उस लगभग ...5.1..... वर्ष पुत्र/पत्नी/सुत्री श्री लोली(रिहे)

निवासी द्वाली लगभग

काठी २०५, नदी पिण्डी।

(जिसे कि इस विलेख में क्रेता कहकर सम्बोधित किया गया है जिसका अर्थ जब तक है कि उसके विपरीत भाव में प्रयुक्त न किया गया हो क्रेता रख्यं उसके वारिसों उत्तराधिकारियों विधिक प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों से लिया जायेगा।) द्वितीय पक्ष के हित में निष्पादित किया गया।

मेरे द्वाली
नदी पिण्डी
काठी २०५, नदी पिण्डी

K Singh
फरनबीत सिंह/Karanjit Singh
सचिवालयी अधिकारी/Secretary Officer
ग्राम पंचायत एवं नगर विकास निगम लिमिटेड
Housing & Urban Development Corps. Ltd.
पार्श्वपथी, सोशल रोड, नई दिल्ली-110003
IHC, Lodhi Road, New Delhi-110003

453
15

70

20 30
9/7/11

दूसिंह जनहित में भूमि अध्यापित करके उसे विक्रेता द्वारा विकसित किया गया है तथा क्रेता को अप्टेंडेन्स प्रीमियम दिनांक 17-6-89 के फलस्वरूप नकद/स्वावित पोषित/किराया क्रय-पद्धत के अन्तर्गत दिनांक को रूपया २,५०,०००/- प्रीमियम मूल्य के प्रति फलस्वरूप तथा रूपया १,००,०००/- २५,००,०००/- सम्पूर्ण पट्टा दौली तालाब गाँव सम्पूर्ण पट्टा अवधि का लीज किराये पर योजना में भूखण्ड संख्या २८ क्रेता के पक्ष में एकांशीकृत वर्गमीटर संलग्न लीज प्लान के अनुसार 90 वर्ष की अवधि के लिये क्रेता के पक्ष में एकांशीकृत आवंटित किया गया था।

चूंकि शासनाक्षेत्र संख्या 1639/9 आ-1-95-80 मिस/86 आवास अनुभाग -1 दिनांक 10-05-95 द्वारा भूमि के मूल्य की 2 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि प्री होल्ड के रूप में लेकर उसे प्री होल्ड भूमि के रूप में हस्तान्तरित करने हेतु प्राविधान किया गया है, तदनुसार क्रेता के द्वारा उक्त धनराशि रूपया ५८०,०००/- (शब्दों में रूपया) दौली तालाब गाँव तथा प्रीमियम की धनराशि रूपया २,५०,०००/- (शब्दों में रूपया) दौली तालाब गाँव योजना के बाजियाबाद प्राधिकरण कोष में जमा कर दी गई है जिसको पावती केवल बाजियाबाद प्राधिकरण कोष में जमा कर दी गई है जिसको पावती विक्रेता इस विलेख के माध्यम से स्वीकार करता है। अतः यह विलेख निज्ञ प्रकार से सन्दर्भित करता है।

1. यह कि क्रेता से उपरोक्तानुसार समरूप मूल्य प्राप्त करने के पश्चात विक्रेता द्वारा भूखण्ड संख्या २८ क्रेता के पक्ष में विक्रय करते हुए सदैव के लिये हस्तान्तरित वर्गमीटर स्थित एकांशीकृत दूसिंह जनहित योजना।

जिसका विस्तृत विवरण अन्त में दिया गया है को प्री होल्ड भूमि के रूप में क्रेता के पक्ष में विक्रय करते हुए सदैव के लिये हस्तान्तरित कर दिया गया है एवं पूर्ण स्वामित्वाधिकार इस विलेख के माध्यम से क्रेता में सन्निहित कर दिये गये है कि वह नियमानुसार भूमि का उपयोग एवं उपभोग करें।

2. यह कि विक्रीत/भूखण्ड का कब्जा इस विलेख के माध्यम से क्रेता को सौंप दिया गया है।

Karanjit Singh

करनजीत सिंह/Karanjit Singh
महानगरीय उपायकारी/Secretary Officer
आवास एवं नगर विकास नियम समिति
Housing & Urban Development Corp. Ltd.
मार्गशील नगरी रोड, नई दिल्ली-110003.
HC. लॉफ्ट्स नं. ८८८ D-110003

205 (29)
69

452

14

3. यह कि भूमि सम्बन्धी अधिकार भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किये जाते हैं एवं भूखण्ड आवंटित करने के समय चूंकि विक्रेता विशेष भूमि अद्यापित अधिकारी के द्वारा दिये गये अग्रिमिर्णण (एवार्ड) के आधार पर ही प्रश्नगत भूखण्ड का प्रीमियम मूल्य एवं तदनुसार प्री होल्ड शुल्क निर्धारित किया गया है। परन्तु यदि भविष्य में व्यायालय द्वारा किसान को देय प्रतिकर तोषण (सोलेशियम) एवं इस मद में व्याज की वृद्धि के आदेश किये जाये तो क्रेता इस हेतु सहमत होता है एवं प्रसविदा करता है कि उपरोक्त प्रकार के किसी आकरिमक कारण से हुई वृद्धि की जिम्मेदारी क्रेता द्वारा धारित भूखण्ड क्षेत्रफल भुविन्यास योजना के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के अनुपात में क्रेता पर रखतः रथानान्तरित हो जोयेगी एवं क्रेता तदनुसार हुई वृद्धि पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार दिये गये मांगपत्र की सूचना प्राप्ति के तीन महीने के अन्दर क्रेता द्वारा अदायगी कर दी जायेगी इसमें असफल रहने पर यह राशि भूराजरख के बकाये के रूप में बरूल की जायेगी।
4. यह कि क्रेता उक्त परिसर अथवा निर्मित रथल के पूर्ण या किसी भू-भाग या हिस्से को व्यक्तिगत निवास वृह के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से धार्मिक रथल एवं किसी ऐसे उपयोग में नहीं लायेगा जिससे किसी प्रकार की कोई अशान्ति उत्पन्न होती हो अथवा पास पड़ोस में भूखण्ड धारकों को बाधा या क्षति पहुंचती हों। क्रेता गाजियाबाद महायोजना में निर्धारित भू उपयोग से अन्यथा प्रयोग नहीं करेगा और ज करने की अनुमति देगा इसका उल्लंघन करने पर विधि अनुसार लगाये गये दण्ड का क्रेता भागी होगा।
5. यह कि क्रेता के द्वारा भूखण्ड अथवा भवन दोनों सम्बन्धित अधिकारों का अन्तरण किये जाने की दशा में इस विलेख में अंकित समर्त नियम व उपनियम सदैव प्रथम अन्तरिती द्वितीय अन्तरिती एवं लगातार प्रत्येक अन्तरिती पर यथावत लागू रहेगी तथा क्रेता द्वारा किये गये इस प्रसंविदा को सभी मानने के लिये बाध्य होंगे।

करतरजीत सिंह/Kartarjeet Singh
मन्त्रिपाली अधिकारी/Secretary Officer
आवास एवं नगर विकास निगम निमिट्ट
Housing & Urban Development Corp. Ltd.
आईएसटी, सोनी रोड, नई दिल्ली-110003
HC. Land, 212d, New Delhi-110003

25/24
25/16

451

(3) 68

6. यह कि किसी समय उक्त भूखण्ड सम्बन्धी किसी भी प्रकार के विवाद की रिचर्टि में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपायसंघ की सहभागी रो विवाद हेतु एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सकती जो कि विवाद सन्दर्भित होने के पश्चात दोनों पक्षकारों की सुनवाई करके अपना निर्णय देगा। किसी भी रिचर्टि में विवाद को स्थानीय क्षेत्रप्राधिकार केवल गाजियाबाद रिचर्ट न्यायालय को ही प्राप्त होगा।

7. यह कि 2 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क सन्निहित करते हुए भूमि का मूल्यांकन रूपया..... 268,80,000/- है जिस पर नियमानुसार रेटम्प शुल्क की अदायगी क्रेता द्वारा की गई है।

8. यह कि क्रेता समय समय पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बोर्ड एवं शासनादेश द्वारा जारी किये गये नियमों विनियमों एवं प्राविधिकों का पालन करता रहेगा।

प्रमाण में रूप में इस विक्रय विलेख पर विक्रेता के लिये एवं उसकी तरफ से प्राधिकृत अधिकारी, तथा क्रेता ने रखयां अपने रखस्थ चिठ्ठ होकर इस विक्रेता विलेख पर अपने हस्ताक्षर तथा विक्रेता की सील भी साक्षियों की उपरियत में लगायी गयी।

ऊपर संदर्भित विक्रीत भूखण्ड का विवरण

भू-विन्यासगत योजना में दी गई भूखण्ड सं. : २४

प्रकार : अवासीय/गृहपुण्ड्रक्षेत्र

कुल क्षेत्रफल : ८०००.०० वर्गमीटर

जिसकी पूर्वी भुजा :

रिचर्ट : ब्राह्मी

पश्चिमी भुजा :

उत्तरी भुजा :

दक्षिणी भुजा :

है प्रश्नगत भूखण्ड की रीमायें किए गए हैं।

पूर्व भूखण्ड सं. :

पंचानग भीन छाता सुनुलार

पश्चिम भूखण्ड सं. :

उत्तर भूखण्ड सं. :

दक्षिण भूखण्ड सं. :

K Singh

करनजीत सिंह/Karanjeet Singh

सचिवालयी निपटाती/Secretary Officer

गाजियाबाद एवं नगर विकास निगम नियिटेड

Housing & Urban Development Corp. Ltd.

बाराही रोड, नई दिल्ली-110003

IHC, Lodhi Road, New Delhi-110003

राज्य प्राधिकारी
विशेष आयोजिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

साक्षीगण :

विक्रेता के लिये

(1) हरताक्षर नाम

उम्र

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

पिता का नाम

द्वारा

व्यवसाय

निवास

प्राधिकृत अधिकारी

(2) हरताक्षर नाम

उम्र

(विक्रेता)
प्राधिकृत अधिकारी

पिता का नाम

व्यवसाय

निवास

(क्रेता के हरताक्षर)

K Singh

काराहजीत सिंह/Karahjeet Singh

सचिवालयों अधिकारी/Secretary Officer
गाजियाबाद एवं नगर विकास नियम फ़िलिंग
Housing & Urban Development Corporation Ltd.
भारतपुरी, सोनी रोड, नई दिल्ली-110003
IHC, Lodhi Road, New Delhi-110003

Sukh

① Sh. SUBHASH CHANDRA GUPTA
Advocate, Age 50 yrs.

87, Dr. D. P. Guptla,
54-B D.D.A. Flats,
JHilmil (VIVEK VIHAR)
DEHLI-95
Prof - Advocate
Tele. No - 22143642,



②

Raju



Chhedi Lal Mawej: 36 years
8/10 Shri Gurjaram Mawej.



P/O W-18 Sector 12 NOIDA.

26/22
66
Annexure - A.

Coordinates: 28°38'27.5" N, 77°20'16.1" E (Worked
in - hours)
Plot Area: 86000m²





गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक : ८०० / आ०५८७-६/२०१५-१६

दिनांक : ३०-७-२०१५

सेवा में,

श्रीमती उषा पी महावीर
महा प्रबन्धक (डीडी/यूआर.पी.)
हड्डों भवन, भारत पर्यावास केन्द्र,
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003



विषय:- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या-२४ वैशाली के जन्मन्द में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्र संख्या- एच./डी.डी./वैशाली 2015 दिनांक 01.07.2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि वर्तमान में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) प्रभावी है। तदानुसार ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, संख्या-२४ वैशाली पर 250 ईकाईयों प्रति हेक्टायर अनुमन्य है। सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

(राम प्रज्ञान)
(एस०सी० गौड)
मुख्य नगर नियोजक

- Copy to ED(WAD) for information.
- Please finalize the design based on the above parameters.

S. P. Goud
05/08/2015
GM(P) DDA

DGM(P) DDA

२०२५/१९

64



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक ३०६ /नियोजन अनुभाग/2020
CTP

दिनांक २१.१०.२०२०

सेवा मे,

श्री गगन गुप्ता
डिप्टी डायरेक्टर (टेक्निकल)
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
छठा तल, ए खण्ड, जनपथ भवन
जनपथ, नई दिल्ली-110001।

विषय: ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0 28, सै0-4, वैशाली के एफ.ए.आर., डेन्सिटी के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र सं0 T-801/4 दिनांक 28.07.2020 का का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। प्राधिकरण के रिकार्ड अनुसार भूखण्ड के आवंटन के समय नियम एवं शर्तों के अनुसार एफ.ए.आर. 2.50, ग्राउण्ड फ्लोर कवरेज 35 प्रतिशत तथा डेन्सिटी 175 व्यक्ति प्रति एकड निर्धारित थी। आर्किटेक्चरल कन्ट्रोल मे अतिरिक्त क्षय योग्य एफ.ए.आर. के सम्बन्ध मे कोई उल्लेख नहीं है। कृपया अवगत होने का कष्ट करे।

भवदीय
(आशोक शिवपुरी)
मुख्य नगर नियोजक

P9 19 63
30

ARCHITECTURAL CONTROL FOR GROUP HOUSING AT VAISHALI

- * Density : 175 Persons per Aera
- * Ground Floor Coverage : 30%
- * F.A.R. : 250
- * SET BACK
 - Front Set back : 50 Feet
 - Rear Set back : 50 Feet
 - Side Set back : 25 Feet (on both sides)
- * Basement equal to ground Floor Coverage will be allowed and it will not be part of F.A.R. & Stilt floor may be provided and it will not be part of F.A.R. Calculations.
- * Nursery School and community facilities will not be counted in F.A.R. Calculations.
- * Applicant has to obtain no objection certificate from Air Force and Fire Brigade departments.
- * Other Architectural details as per R.B.O. Act/N.B.C.